महानिदेशक कार्यालय उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार
शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला

विज्ञापन

अनुसूचित जाति (SC) / पिछड़ा वर्ग (BC) के उच्चतर शिक्षा के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 से संबंधित 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' (PMS) के लंबित मामलों का समाधान।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञापनों (representations) पर विचार करते हुए, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह अवसर उन छात्रों के लंबित मामलों के समाधान के लिए है जिन्होंने **'हर छात्रवृत्ति' (Harchhatravrati) पोर्टल** के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए 'अनुसूचित जाति हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' (PMS-SC) के तहत आवेदन किया था।

अतः, वे सभी इच्छुक छात्र जिनके मामले अधूरे दस्तावेजों या क्रेडेंशियलदस्तावेजों के सत्यापन न होने के / कारण लंबित हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत पोर्टल पर अपने अकाउंट में जाएँ और कमियों को दूर करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि यदि अभी तक नहीं किया है, तो वे तुरंत अपने **आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक** (**Seed**) करवा लें। विभिन्न स्तरों पर कमियों को सुधारने और सत्यापन के लिए निर्धारित समय सीमा नीचे दी गई है:

स्तर	समय सीमा (Deadline)
छात्रों को भेजे गए आवेदनों के सुधार हेतु	02 दिन 12.03.2026 और 13.03.2026
स्तर-1 (संस्थान स्तर)	14.03.2026
स्तर-2 (नोडल निकाय स्तर)	16.03.2026
स्तर-3 (मुख्यालय स्तर)	18.03.2026

छात्रों और सभी स्तरों (संस्थान, नोडल निकाय और मुख्यालय) के नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाए। यह सख्ती से सूचित किया जाता है कि इन समय सीमाओं की समाप्ति के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और उपरोक्त वर्षों के लिए किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे लंबित मामलों के समाधान हेतु सभी संभावित माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया **0172-2565530** पर संपर्क करें या ईमेल करें: **higherscholarship201819@gmail.com**

महानिदेशक
उच्चतर शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला